

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, शके 1948-अप्रैल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, जनवरी 19, 2026

संख्या प.1(2)(1)नपा -पंचा /सां .आ/रानिआ /14/635 :-सां.आ. 149/2026 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24-क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित नियम 24-क के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3913/12.09.2014 (सां. आं 94/2014) को अधिक्रमित करते हुए सभी नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के समस्त वार्डों को ऐसे वार्डों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां रिक्त पद के स्थान को भरने हेतु भविष्य में होने वाले आम/उप चुनाव में मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से दिये और अभिलिखित किये जायेंगे, जब तक आयोग द्वारा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्देश प्रसारित नहीं किए जाएं।

आज्ञा से,

राजेश वर्मा,

सचिव,

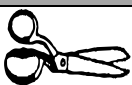
राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर।

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

विपिन कुमार		
No.	अध्यक्ष/झालरापाटन/सा.नि./26	
विपिन कुमार		
विपिन कुमार		
विपिन कुमार		
विपिन कुमार		
विपिन कुमार		
विपिन कुमार		
विपिन कुमार		
नोटा (इनमें से कोई नहीं)		

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

विपिन कुमार 		विपिन कुमार 	
No.	अध्यक्ष/झालरापाटन/ सा.नि./26		
विपिन कुमार 		विपिन कुमार 	
विपिन कुमार 		विपिन कुमार 	
विपिन कुमार 		विपिन कुमार 	
विपिन कुमार 		विपिन कुमार 	
विपिन कुमार 		विपिन कुमार 	
विपिन कुमार 		नोटा (इनमें से कोई नहीं) 	

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।